

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उन्चास'

[ 16/12/2015]

प्रश्न सं. [ क. 1820 ]

परिशिष्ट प्रपत्र-1

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक-1820

ग्रामीण बसाहटों में हैण्डपंप स्थापना हेतु प्रदेश में प्रचलित मापदण्ड

क्र.	विवरण	निर्धारित मानदण्ड
1.	प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल आपूर्ति	हैण्डपंप योजना 55 लीटर
		नलजल प्रदाय योजना 70 लीटर
2.	प्रत्येक परिवार से स्रोत की अधिकतम दूरी	500 मीटर
3.	प्रत्येक परिवार से स्रोत की अधिकतम ऊँचाई/निचाई	30 मीटर

cls  
Shree  
सहायक संत्री  
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सो. स्टा. यां. वि. भोपाल

प्रमुख अभियन्ता

विधान सभा प्रश्न क्र. 1820 अतारांकित प्रश्नकर्ता—श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना  
प्रश्नांश "ख" से संबंधित  
(सशोधित)

शेष आंशिक पूर्ण श्रेणी के बसाहटों की जानकारी

क्र०	विधान सभा क्षेत्र	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	बसाहटों की संख्या
1	शीवा	शीवा	7	8	8
		रायपुर	3	3	6
	योग शीवा :-		10	11	14
2	गुड	शीवा	10	9	11
		रायपुर	9	11	16
	योग गुड :-		19	20	27
3	देवतालाब	रायपुर	10	17	25
		नईगढी	23	36	51
		मऊगंज	29	53	86
	योग देवतालाब :-		62	106	162
4	मऊगंज	मऊगंज	5	8	9
		हनुमाना	80	135	243
	योग मऊगंज :-		85	143	251
5	मनगर्वी	गंगेव	96	93	138
		नईगढी	23	37	66
	योग मनगर्वी :-		79	130	204
6	सिरमौर	गंगेव	1	1	1
		सिरमौर	5	7	9
		जवा	52	75	96
	योग सिरमौर :-		58	83	106
7	सेमरिया	सिरमौर	38	65	93
		शीवा	3	5	6
		रायपुर	0	0	0
	योग सेमरिया :-		42	70	99
8	त्यौधर	त्यौधर	41	49	63
		जवा	4	5	12
	योग त्यौधर :-		45	54	75
	महा योग :-		400	617	938

c-15

सहायक यंत्री  
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)  
कार्यालय मुख्य अभियंता  
श्री. स्व. डॉ. वि. भापाल

कार्यपालन यंत्री.